

// निर्णय //

Sum.....219122.....

(आज दिनांक10.11.22..... को घोषित किया गया)

01. आरक्षी केंद्र पथरिया जिला दमोह द्वारा अभियुक्त ② दिनेश जी ४० गन्नासी गल्ले ३००६ है मर्राध को विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अभियोगपत्र पेश किया गया।
02. प्रकरण में अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उसे पढकर सुनाये समझाए जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदानुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।
03. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवदेन एवं सहपत्रों तथा अभियुक्त द्वारा की गई, स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।
04. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में परीविक्षा अधिनियम के अंतर्गत, परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त अपराध साधारण प्रकृति का अपराध है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त को कारावास से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है।
05. अतः अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास और 3000-3000 रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
06. अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम करने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
07. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 52 पक्का देशी एलेन आबकारी विभाग को वापिस सौंपी जाये।

स्थान:-पथरिया

मेरे निर्देश पर टंकित।

दिनांक:- 10.11.22

Demay
राजेंद्र बर्मन
20/11/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया जिला दमोह(म.प्र.)